

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न- अटल पेंशन योजना

I. एपीवाई खाता खोलना

1. पेंशन क्या है? मुझे इसकी आवश्यकता क्यों है?

पेंशन वृद्ध लोगों को तब मासिक आय प्रदान करती है, जब वे कार्यशील नहीं होते हैं I

पेंशन की आवश्यकता क्यों है :

- वृद्धावस्था के दौरान धनार्जन का सामर्थ्य कम हो जाना I
- जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि I
- सेवानिवृत्त जीवन का कामकाजी जीवन की अवधि तकरीबन बराबर होना I
- जीवन-यापन के खर्च में बढ़ोतरी / महंगाई I
- कमाने वाले सदस्यों का प्रवास I
- एकल परिवार की संस्कृति का विकास I
- वृद्धावस्था में गरिमामय जीवन की अनुभूति, कम वित्तीय निर्भरता के कारण I

2. अटल पेंशन योजना क्या है ?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई), भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए जारी स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से गरीबों, अवंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी I एपीवाई के तहत ₹1000/- या ₹2000/- या ₹3000/- या ₹4,000/- या ₹5,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन 60 वर्ष की आयु में प्रदान की जाती है, जो कि अभिदाताओं द्वारा चुने गए पेंशन विकल्प के अंशदानों पर निर्भर करती है I

3. एपीवाई की सदस्यता कौन ले सकता है ?

एपीवाई, भारत के उन सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करते हों:-

- i. व्यक्ति की आयु 18-40 वर्ष होनी चाहिए I
- ii. उसका एक बचत बैंक खाता/डाकघर बचत खाता होना चाहिए I
- iii. दिनांक 1 अक्टूबर 2022 के बाद से, जो भारतीय नागरिक आयकर अधिनियम, 1961 के तहत, आवेदन की तिथि पर आयकरदाता हैं या पूर्व में आयकर दाता रहे हैं, वे नया एपीवाई खाता नहीं खोल सकेंगे।

संभावी आवेदक, एपीवाई खाते और साथ-साथ योजना के विषय में समय-समय पर किये गए नवीनीकरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक को पंजीकरण के समय मोबाइल नंबर प्रदान कर सकता है I नामांकन के समय आधार नंबर भी प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए भी एपीवाई अधिसूचित है I

4. एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया क्या है ?

एपीवाई खाता खोलने के लिए जहां व्यक्ति का बचत बैंक खाता है, उस बैंक शाखा/डाकघर से संपर्क करें या यदि व्यक्ति का बैंक बचत खाता नहीं है, तो बैंक या डाकघर में एक बचत खाता खुलवाएं।

5. क्या कोई आयकर दाता नया एपीवाई खाता खोल सकते हैं ?

नहीं, 1 अक्टूबर, 2022 से ऐसे कोई भी नागरिक, जो आयकर दाता (आयकर अधिनियम, 1961) हों या पूर्व में रहे हों, वे नया एपीवाई खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे।

6. क्या मौजूदा आयकरदाता एपीवाई अभिदाताओं या 30 सितम्बर, 2022 को अथवा उससे पहले शामिल होने वाले आयकरदाता अभिदाताओं पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा ?

नहीं, 30 सितम्बर 2022 को या उससे पहले शामिल होने वाले अभिदाता, आयकरदाता होने के बावजूद, अपने अटल पेंशन योजना खाते को जारी रखने और योजना के तहत प्रदत्त लाभों को प्राप्त करने के लिए अंशदान करने के पात्र होंगे।

7. यदि कोई अभिदाता वर्तमान में आयकरदाता नहीं है किन्तु योजना की सदस्यता लेने के बाद आयकरदाता की श्रेणी में आ जाता है, तो क्या वह योजना में बना रह सकता है ?

हाँ, अभिदाता एपीवाई के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि पर आयकरदाता नहीं होना चाहिए, यदि बाद में वह आयकर दाता बन जाता/जाती है, तो उनके एपीवाई खाते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे सभी एपीवाई अभिदाता योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपने एपीवाई खाते और अंशदान को जारी रख सकते हैं।

8. (I) यदि अभिदाता की आय गैर-कर योग्य श्रेणी में है, तो क्या वह योजना की सदस्यता ले सकते हैं ?

हाँ।

(II) यदि बाद में यह ज्ञात हो कि अभिदाता आयकरदाता है और उसका एपीवाई खाता बंद किया जाना है, तो इस सम्बन्ध में अभिदाता पर क्या किसी दण्ड का प्रावधान होगा ?

नहीं, ऐसे अभिदाता पर किसी प्रकार के दण्ड का प्रावधान नहीं होगा, हालांकि ऐसे अभिदाता का एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और संचित पेंशन संपत्ति अभिदाता को वापस कर दी जाएगी, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त 2022 में निर्धारित किया गया है।

9. क्या केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारी और/या एनपीएस अभिदाता एपीवाई की सदस्यता ले सकते हैं ?

• हाँ, कोई भी भारतीय नागरिक, जो उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 के तहत प्रदत्त पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, वे सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में अपने रोजगार स्तर का विचार किये बिना भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना के गारंटी युक्त लाभों को प्राप्त करने के लिये इसमें शामिल हो सकते हैं।

• इसके अलावा, मौजूदा एनपीएस अभिदाता भी एपीवाई की सदस्यता ले सकते हैं, यदि वे उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 के तहत सामान्य योग्यता मापदंड को पूरा करते हों।

10. एपीवाई में शामिल होने के क्या लाभ हैं ?

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए जारी स्वैच्छिक पेंशन योजना है, जो विशेष रूप से गरीबों, अवंचित वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत, अभिदाता निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं :

- (i) **केंद्र सरकार द्वारा गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन राशि** : एपीवाई के तहत प्रत्येक अभिदाता 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन केंद्र सरकार की ₹ 1000 प्रतिमाह या ₹ 2000 प्रतिमाह या ₹ 3000 प्रतिमाह या ₹ 4000 प्रतिमाह या ₹ 5000 प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन प्राप्त करेगा ।
- (ii) **अभिदाता के पति/पत्नी के लिए केंद्र सरकार की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन राशि** : अभिदाता की मृत्यु के बाद, अभिदाता का पति/पत्नी अभिदाता के समान पेंशन राशि आजीवन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा/होगी ।
- (iii) **अभिदाता के नामिति को पेंशन संपत्ति की वापसी** : अभिदाता और उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद अभिदाता का नामिति, अभिदाता के 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन संपत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र होगा/होगी ।

तीनों लाभों को प्राप्त करने के लिए अभिदाता को एपीवाई में शामिल होने की उम्र से 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित अंशदान राशि का योगदान करना आवश्यक है ।

11. योजना में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है ?

अटल पेंशन योजना (APY) को अब आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत शामिल किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो APY के तहत इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आधार संख्या रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण के तहत नामांकन कराना होगा। इसलिए, नामांकन के समय ग्राहक की उचित पहचान के लिए आधार संख्या प्रदान करना वांछनीय (अनिवार्य नहीं) है। हालांकि, यदि नामांकन के समय आधार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो समय के साथ आधार विवरण प्रस्तुत किया जाना है।

12. क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूँ?

नहीं, एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता/डाकघर बचत बैंक खाता अनिवार्य है ।

13. योजना में शामिल होते समय नामितिकरण प्रदान करना आवश्यक है ?

हाँ, एपीवाई खाते में नामिति का विवरण प्रदान करना आवश्यक है ।

14. क्या डिफाल्ट नामिति या रक्त संबंध का कोई प्रावधान है ?

यदि अभिदाता अविवाहित है तो वह किसी भी व्यक्ति को नामिति के रूप में नामांकित कर सकता है और विवाह के बाद उनको पति/पत्नी का विवरण प्रदान करना होगा । यदि वह पहले से ही विवाहित है तो उसके पति/पत्नी को डिफाल्ट नामिति माना जाएगा । पति/पत्नी और नामितियों के आधार विवरण प्रदान किए जा सकते हैं ।

15. मैं कितने एपीवाई खाते खोल सकता हूँ ?

एक व्यक्ति केवल एक APY खाता खोल सकता है। एकाधिक APY खातों की अनुमति नहीं है। हालांकि, 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के अंतर्गत आने वाले ग्राहकों के परिवार के सभी पात्र सदस्य अपना व्यक्तिगत APY खाता खोल सकते हैं।

16. क्या किसी नाबालिग / अवयस्क द्वारा एपीवाई खाता खोला जा सकता है ?

नहीं, किसी नाबालिग / अवयस्क द्वारा एपीवाई खाता नहीं खोला जा सकता है ।

17. यदि, मैं 40 साल की आयु पूरी कर लेता हूँ, तो क्या मैं अटल पेंशन योजना में शामिल हो सकता हूँ?

कोई व्यक्ति अपने 40 वें जन्मदिवस तक ही एपीवाई से जुड़ सकता है । जैसे - यदि कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2023 को 40 वर्ष का हो जाता है तो वह 1 जनवरी 2023 तक ही एपीवाई से जुड़ने के लिए पात्र है तथा 2 जनवरी 2023 से उसकी पात्रता समाप्त हो जाती है ।

18. क्या कोई एनआरआई एपीवाई खाता खोल सकता है ?

हाँ, एनआरआई जो उपर्युक्त बिंदु संख्या 3 के तहत प्रदत्त पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों, एपीवाई खाता खोलने के लिए योग्य है ।

19. एपीवाई खाता खोलने के बाद, यदि कोई अभिदाता देश का गैर-निवासी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ?

यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है । इसलिए, ऐसी स्थिति में वह एपीवाई खाता बंद हो जाएगा और उसके अंशदानों पर अर्जित कुल वास्तविक ब्याज (खाता रखरखाव शुल्क की कटौती) के बाद वापस कर दिया जाएगा, जबकि, सरकारी सह-अंशदान और सरकारी सह-अंशदानों पर अर्जित ब्याज (यदि दिया गया हो), ऐसे अभिदाता को वापस नहीं किया जाएगा ।

20. एपीवाई खाते की निरंतरता को कैसे बनाए रखा जा सकता है?

एपीवाई योजना में नियमित योगदान जमा करके खाते को चालू एवं नियमित रखा जा सकता है । साथ ही , अभिदाता अपनी आय की आवृत्ति के अनुसार योगदान आवृत्ति (मासिक / तिमाही / छमाही) चुनकर भी निरंतरता बनाये रख सकता है । इसके अतिरिक्त ,अभिदाता ब्याज सहित पिछले अंशदानो का भुगतान करके भी खाते को नियमित रख सकता है ।

21. यदि एपीवाई ग्राहक आयकर करदाता है, तो क्या उसके पति/पत्नी जो आयकरदाता नहीं हैं, अपना एपीवाई खाता खोल सकते हैं?

हां, यदि एपीवाई अभिदाता आयकरदाता है, तो उसका पति/पत्नी जो आयकरदाता नहीं है और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता है, अपना एपीवाई खाता खोल सकता है।

22. किसी व्यक्ति को एपीवाई में कब शामिल होना चाहिए?

एक व्यक्ति को समय का लाभ प्राप्त करने के लिए जितनी जल्दी हो सके एपीवाई में शामिल होना चाहिए क्योंकि कम उम्र में अंशदान राशि कम होती है।

23. क्या APY और NPS का PRAN नंबर एक ही होगा ?

एक ग्राहक के पास अटल पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए अलग-अलग PRAN होंगे। NPS खाता या NPS के तहत PRAN खोलने से APY खाते या APY के तहत PRAN पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II. एपीवाई के तहत संचयी चरण

24. एपीवाई में एक व्यक्ति को कितनी राशि जमा करनी होगी ?

अंशदान राशि, एपीवाई खाता खोलते समय अभिदाता की आय, अंशदान की आवृत्ति और चुनी गई पेंशन राशि पर निर्भर करेगी इसके संदर्भ के लिए, आयुवार, आवृत्तिवार और पेंशन राशि वार अंशदान तालिका, अनुलग्नक के रूप में प्रदान की गई है।

25. एपीवाई खाते में अंशदान का तरीका और आवृत्ति क्या है ?

अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक अंतरालों के आधार पर अंशदान का भुगतान किया जा सकता है ।

26. एपीवाई के तहत अंशदान की देय तिथि क्या है ?

एपीवाई अंशदान अभिदाता के बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से एक विशेष माह की किसी भी तिथि पर संकलित किया जा सकता है । मासिक अंशदान के मामले में, विशिष्ट महीने की किसी भी तिथि या त्रैमासिक अंशदान के मामले में, तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक अंशदान के मामले में अर्ध वर्ष के पहले महीने के किसी भी दिन बचत बैंक खाते/डाकघर बचत खाते के माध्यम से एपीवाई में अंशदान का भुगतान किया जा सकता है ।

27. एपीवाई में तिमाही/छमाही को कैसे परिभाषित किया गया है ?

तिमाही के लिए अप्रैल-जून को पहली तिमाही/जुलाई-सितम्बर को दूसरी तिमाही/ अक्टूबर-दिसंबर को तीसरी तिमाही और जनवरी-मार्च को चौथी तिमाही के रूप में परिभाषित किया गया है । इसके अतिरिक्त छमाही के लिए अप्रैल-सितम्बर को पहली छमाही और अक्टूबर-मार्च को दूसरी छमाही के रूप में परिभाषित किया गया है । अभिदाता को उस तिमाही/छमाही, जब भी वह योजना में शामिल हो रहा/रही हो, के लिए पूर्ण अंशदान अर्थात् प्रारम्भिक अंशदान का भुगतान करने की आवश्यकता होगी और अनुवर्ती अंशदान अगली तिमाही या छमाही, जैसी भी आवृत्ति का चयन किया गया हो, के पहले महीने में देय होगा ।

28. यदि अंशदान जमा करने में देरी होती है तो क्या होगा ?

यदि देय तिथि पर एपीवाई अंशदान जमा करने में देरी होती है तो अभिदाता से विलंबित अवधि के लिए विलंबन ब्याज लिया जाएगा

29. विलंबित अंशदान की स्थिति में ब्याज की गणना कैसे की जाती है ?

प्रत्येक विलंबित मासिक अंशदान के लिए, बैंकों को प्रत्येक 100 रुपये के अंशदान में से 1 रूपया या उसका कुछ हिस्सा, प्रति माह की दर से एकत्र करना आवश्यक है । एकत्र किया गया ब्याज अभिदाता के एपीवाई खाते में जमा किया जायेगा और यह अभिदाता के पेंशन कोष का हिस्सा रहेगा ।

30. यदि देय तिथि पर बचत बैंक खाते में आवश्यक या पर्याप्त राशि नहीं है, तो क्या होगा?

महीने की अंतिम तिथि/तिमाही के पहले माह की अंतिम तिथि/छमाही के पहले माह की अंतिम तिथि पर, जैसा भी मामला हो, अभिदाता के बचत बैंक खाते में अपर्याप्त राशि होने की स्थिति में, इसे भुगतान का अभाव समझा जाएगा और विलंबित अंशदान के लिए विलम्बित ब्याज के साथ अंशदान का अनुवर्ती माह में भुगतान किया जाएगा । धनराशि की उपलब्धता के अधीन एक से अधिक, मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक राशि प्राप्त की जा सकती है ।

31. अंशदान न करने की स्थिति में एपीवाई खाते का क्या होगा?

अभिदाता द्वारा अंशदान न करने के कारण एपीवाई खाता कभी भी बंद नहीं होता है । इसके अलावा अभिदाता ब्याज के साथ पिछले नहीं दिए गए अंशदानों का भुगतान करके किसी भी समय अपने खाते को नियमित कर सकता है

।अभिदाता के एपीवाई खाते में खाता रखरखाव शुल्क और अन्य सम्बंधित शुल्कों के लिए समय समय पर कटौती की जाती रहेगी जब तक की वह शून्य ना हो जाये ।

32. एपीवाई में किये गए अंशदान को किस प्रकार निवेशित किया जाता है?

एपीवाई के अंतर्गत किये गए अंशदान को पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई के लिए निर्धारित निवेश सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश किया जाता है। एकत्रित अंशदानों का प्रबंधन एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड एवं यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

III. एपीवाई के तहत अभिदाता सम्बंधी सेवाएं

33. एपीवाई अभिदाता के लिए कौन सी नई विशेषताएं उपलब्ध हैं ? क्या यह विशेषताएं ऑनलाइन रूप से भी उपलब्ध हैं ?

उभरती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) ने नई क्रियात्मकताओं को उपलब्ध कराया है, जो निम्न तालिका में वर्गीकृत हैं।

पीएफआरडीए द्वारा इन क्रियात्मकताओं के लिए डिजिटल सुविधाएं भी आनलाईन उपलब्ध करायी गई हैं ताकि अभिदाता बैंक/ डाकघर शाखा में जाए बिना अपने खाता देख सके। यह विशेषता एपीवाई अभिदाताओं को सशक्त बनाएंगी और निम्नानुसार खाता सम्बंधी गतिविधियों को करने में लाभ प्रदान करेगी।

क्र.सं.	मोड्यूल	डिजिटल सुविधाएं लाभ
1	अभिदाता पंजीकरण	<p>ऑनबोर्डिंग के पारंपरिक तरीके में अभिदाता को एपीवाई खाता खोलने के लिए भौतिक फॉर्म जमा करना होता था, अब एपीवाई के लिए एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा भी शुरू की गई है :</p> <p>एपीवाई में संभावित अभिदाताओं को नामांकन के लिए बहु- विकल्पों के साथ ई-एपीवाई सुविधा प्रदान की गई है। यह व्यापक पहुँच सुनिश्चित करती है तथा यह एक प्रयोक्ता अनुकूल मंच है और संभावित अभिदाताओं के लिए एपीवाई के तहत नामांकन को भौतिक प्रपत्र जमा किए बिना और बैंक शाखा पर जाए बिना शुरू से अंत तक एक डिजिटल इंटरफेस प्रक्रिया प्रदान करती है ।</p> <p>विभिन्न विकल्प निम्नानुसार हैं :</p> <p>क) आनलाईन एपीवाई नामांकन</p> <p>एपीवाई के तहत पात्र व्यक्ति ई-एपीवाई के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है। इसमें व्यक्तिगत विवरण को आधार के अनुसार प्राप्त किया जाता है और ई-साइन सुविधा के माध्यम से व्यक्ति के विवरण को जमा किया जाता है ।</p> <p>ख) एपीवाई लीड जेनरेशन</p>

		<p>इस सुविधा के माध्यम से संभावित एपीवाई अभिदाता के लिए उसका शुभचिन्तक लीड जेनरेट कर सकता है । अग्रिम कार्रवाई हेतु उक्त लीड सम्बंधित बैंक को भेज दी जाएगी । यह सुविधा उन सभी व्यक्तियों के लिए लाभदायक है, जो एपीवाई में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं रखते ।</p> <p>ग) एनपीएस लाइट स्वाबलंबन अभिदाताओं का एपीवाई में स्थानांतरित होना इस सुविधा के माध्यम से, एनपीएस लाइट अभिदाता ऑनलाइन माध्यम से एपीवाई में स्थानांतरित हो सकते हैं और भौतिक रूप से प्रपत्र बैंक में जमा कराने की आवश्यकता नहीं है ।</p>
2	प्रान कार्ड प्रिंटिंग	<p>अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभिदाताओं के पास ईएनपीएस पोर्टल पर जाकर भौतिक प्रान कार्ड चुनने का विकल्प है । अभिदाताओं के लिए एक लिंक प्रदान किया गया है, जिसमें एपीवाई प्रान कार्ड को प्रिंट करने के निर्देश दिए गए हैं ।</p> <p>इसके साथ ही, एक ई-प्रान कार्ड/लेन-देन विवरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहाँ से लेनदेन विवरण और ई-प्रान कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है । यहाँ प्रान के द्वारा और प्रान के बिना खोज का विकल्प भी दिया गया है । अभिदाता वित्त वर्ष के अनुसार लेन-देन विवरण डाउनलोड कर सकता है ।</p>
3	अपग्रेड/डाउनग्रेड	<p>एपीवाई के तहत, अभिदाता को ₹1000 , ₹ 2000 , ₹ 3000 , ₹ 4000 एवं ₹ 5000 में से एक पेंशन राशि का चयन करना आवश्यक है, जो कि अभिदाताओं को चुनी गयी पेंशन राशि के आधार पर 60 वर्षा कि उम्र होने पर प्राप्त होगी । तदनुसार, अंशदान ग्राहक के बैंक खाते से चुनी हुई आवृत्ति यानि मासिक /त्रैमासिक/छमाही के अनुसार काटा जाता है । PFRDA दिशानिर्देशों के अनुसार एपीवाई अभिदाता के पास चुनी हुई पेंशन राशि को अपग्रेड अपग्रेड/डाउनग्रेड करने का विकल्प होता है । 1 जुलाई 2020 के बाद , अभिदाता को पूरे वर्ष में एक बार पेंशन राशि बदलने का विकल्प दिया गया है ।</p>
4.	एपीवाई खाता ज़ारी रखना	<p>वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी अधिसूचना F.No.16/1/2015-PR दिनांकित 22 मार्च, 2016 और पीएफआरडीए निकास दिशानिर्देशों के अनुसार, अभिदाता की मृत्यु के मामले में अभिदाता का पति/पत्नी के पास खाते को ज़ारी रखने का विकल्प है । यह सुविधा सीआरए प्रणाली में उपलब्ध करा दी गई है, जहाँ खाता ज़ारी रखने के लिए अभिदाता के पति/पत्नी द्वारा किए गये अनुरोध को, एपीवाई सेवा प्रदाताओं द्वारा अभिदाता पंजीकरण क्रियात्मकता के रूप में पूर्ण किया जाएगा ।</p> <p>एपीवाई खाता निम्नलिखित विकल्पों के साथ ज़ारी रखा जा सकता है :</p> <p>i) 60 वर्ष की आयु से पूर्व, अभिदाता की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी के नाम पर नया प्रान जारी किया जाएगा और पति/पत्नी को शेष अवधि</p>

		<p>अर्थात् जब तक मूल/मृतक अभिदाता की आयु के 60 वर्ष पूर्ण नहीं हो जाते, अंशदान जारी रखना होगा।</p> <p>ii) मूल/मृतक अभिदाता के पति/पत्नी को वह समान राशि का अंशदान करने की अनुमति होगी, जो पूर्व में मूल/मृतक अभिदाता द्वारा चुनी गई थी।</p> <p>iii) अभिदाता के एपीवाई खाते में जो शेष जमा इकाइयाँ हैं वे पति/पत्नी के एपीवाई खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।</p> <p>iv) अभिदाता के पति/पत्नी को उसके बचत बैंक खाते में से अंशदान करने की अनुमति होगी।</p>
5	सीजीएमएस	<p>एपीवाई शिकायत मोड्यूल</p> <p>एपीवाई-सेवा प्रदाताओं को सीआरए लॉग इन में सम्बंधित अभिदाताओं की ओर से आरोप/शिकायतें दर्ज करने की सुविधा दी गई है। कार्यप्रणाली के भाग के रूप में, एपीवाई सेवाप्रदाताओं के पास निम्नलिखित विकल्प हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> • शिकायत सम्बंधी अनुरोध दर्ज करना • शिकायत समाधान • शिकायत की स्थिति देखना • शिकायत देखना तथा उसे आगे सौंपना • शिकायत की अंतिम स्थिति देखना <p>अभिदाता द्वारा स्वयं शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया :</p> <p>अभिदाता को शिकायत दर्ज करने की सुविधा वेबसाइट के माध्यम के अलावा एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन में भी प्रदान की गयी है। सीआरए साईट पर एपीवाई अभिदाता द्वारा शिकायत दर्ज करने के लिए सीधा लिंक: https://npscra.nsdl.co.in/Logyour-grievance.php</p>
6	मोबाइल एप्लिकेशन	<p>एपीवाई अभिदाताओं के लिए एक मोबाइल एप विकसित किया गया है जिसे "एपीवाई और एनपीएस लाइट" के नाम से जाना जाता है। स्मार्ट फोन वाले एपीवाई अभिदाता एपीवाई खातों को वास्तविक समय में देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से उक्त ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।</p> <p>मोबाइल ऐप की विभिन्न विशेषताएं निम्नानुसार हैं:</p> <p>क) लेनदेन विवरण और ई-प्रान डाउनलोड करें ख) होल्लिंगस वैल्यू देखें ग) क्रेडिट किए गए नवीनतम 5 अंशदानों की जांच करें घ) व्यक्तिगत विवरण की जाँच करें ङ) शिकायत दर्ज करना च) ई-एपीवाई के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लिंक छ) पेंशन कैलकुलेटर के लिए लिंक ज) एपीवाई की पाठशाला पर एपीवाई के लिए यूट्यूब वीडियो के लिए लिंक</p>

		एपीवाई अभिदाता प्रान और सीआरए प्रणाली में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त करके मोबाइल एप का उपयोग कर सकते हैं ।
7.	चैटबोट सुविधा (KYNA)	एपीवाई अभिदाताओं के लिए चैटबोट विकसित किया गया है ताकि अभिदाता एपीवाई से सम्बंधित सवालों को शीघ्र सुलझा सकें । यह मौजूदा एपीवाई अभिदाताओं के साथ ही साथ संभावित अभिदाताओं के लिए एपीवाई से सम्बंधित सूचना शीघ्र प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है ।
8.	एपीवाई पर पोडकास्ट	एपीवाई के लिए विभिन्न विषयों पर पोडकास्ट उपलब्ध कराए गए हैं । कोई भी व्यक्ति इन्हें सुन सकता है और एपीवाई एवं इसमें दिए गए विभिन्न लाभों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है । पोडकास्ट को हिन्दी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराया गया है ।

अभिदाता उपरोक्त सुविधाओं को देखने के लिए निम्नलिखित लिंक पर जा सकते हैं

<https://www.npscra.nsd1.co.in/scheme-details.php>

34. क्या एपीवाई के तहत विभिन्न फार्म आनलाइन रूप से उपलब्ध है ?

हाँ, एपीवाई के तहत विभिन्न फार्म <https://www.npscra.nsd1.co.in/nsdl-forms.php> पर जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं ।

35. क्या कोई ऐसा विकल्प होगा जिससे ज्यादा और कम पेंशन राशियों को प्राप्त करने के लिए मासिक अंशदान को घटाया अथवा बढ़ाया जा सके ?

क) अभिदाता संचयन अवधि के दौरान वर्ष में एक बार पेंशन राशि को घटाने अथवा बढ़ाने के विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है ।

ख) चालीस वर्ष या उससे कम आयु के अभिदाताओं के लिए, पेंशन राशि को बढ़ाने हेतु, अभिदाताओं को अंशदान की अंतरित राशि का भुगतान नहीं करना होगा । पुनः व्यवस्थित करने की पद्धति के अनुसार, वर्तमान आयु और नए पेंशन राशि के आधार पर अंशदान जमा करना होगा । जबकि घटाने के मामले में, अभिदाता से संकलित की गई अंशदान की अतिरिक्त राशि अभिदाताओं को उस पर जारी रिटर्न्स के साथ वापस कर दी जाएगी ।

ग) त्रुटिपूर्ण मामलों के अलावा बढ़ाने या घटाने के लिए, अभिदाता को 50 रूपये का शुल्क देना होगा, जो पीओपी-एपीवाई और सीआरए द्वारा सामान रूप से साझा किया जाएगा ।

36. मैं अपने अंशदान की स्थिति के बारे में कैसे जान सकूंगा/सकूंगी ?

एपीवाई अभिदाता को प्रान चालू होने, खाते में मौजूद शेष राशि, अंशदान जमा इत्यादि से सम्बंधित जानकारी समय-समय पर एसएमएस अलर्ट के द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी या इसे सीआरए द्वारा आरम्भ की गई एप पर देखा जा सकता है । अभिदाता को एक वित्त वर्ष में एक बार खाते के विवरण की भौतिक प्रति पंजीकृत पते पर भी भेजी जाएगी ।

37. क्या मुझे संव्यवहार विवरणी प्राप्त होगी ?

हाँ, एपीवाई खाते की वार्षिक संव्यवहार विवरणी अभिदाता को उसके पंजीकृत पते पर CRA द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

38. यदि मैं अपने निवास स्थान/शहर में परिवर्तन करता/करती हूँ, तो मैं अपने एपीवाई खाते में अंशदान कैसे करूंगा/करुंगी?

निवास स्थान/शहर में परिवर्तन होने पर भी ऑटो डेबिट के जरिये एपीवाई अंशदान बिना किसी बाधा के जमा किया जा सकेगा । क्योंकि अंशदान संकलन बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा, जो कि सीबीएस सक्षम है। अभिदाता निवास स्थान परिवर्तन होने पर भी, उसी बचत बैंक खाते से अंशदान कर सकता है ।

39. यदि मैं एपीवाई का मौजूदा अभिदाता हूँ, तो क्या मैं अपनी सुविधानुसार ऑटो- डेबिट सुविधा को तिमाही या अर्द्धवार्षिक के रूप में बदल सकता हूँ?

हाँ, अभिदाता वर्ष में एक बार ऑटो- डेबिट सुविधा के तरीके (मासिक/त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक) को बदल सकता है ।

40. क्या एपीवाई के लिए कोई हेल्पलाईन नम्बर है, जहाँ एपीवाई से सम्बंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं ?

हाँ, एपीवाई के लिए टोल फ्री नम्बर हैं :

पीएफआरडीए का टोल फ्री नम्बर 1800-110-069 (संभावी अभिदाताओं के लिए)

सीआरए का टोल फ्री नंबर 1800-889-1030 (मौजूदा अभिदाताओं के लिए)

IV. एपीवाई के तहत कराधान और शुल्क

41. क्या मैं एपीवाई के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकता हूँ?

अधिसूचना संख्या 7/2016.F.No.173/394/2015-ITA-I दिनांकित 19 फरवरी, 2016 के अनुसार एनपीएस के तहत उपलब्ध कर लाभ एपीवाई पर भी लागू हैं । नई कर व्यवस्था को चुनने वाला अभिदाता, नई कर व्यवस्था के प्रावधानों को देखे ।

42. एपीवाई खाते के रखरखाव में कौन से शुल्क और प्रभार शामिल हैं?

एपीवाई के सभी प्रभार और शुल्क सम्बंधी तालिका

मध्यवर्ती	प्रभार	एपीवाई अभिदाताओं पर लागू शुल्क और प्रभार	कटौती का तरीका
केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए)	खाता खुलवाने का शुल्क	₹ 15	इकाईयों के निरस्तीकरण द्वारा ।
	प्रति खाता वार्षिक खाता रख रखाव शुल्क	₹ 20	
	प्रति लेनदेन शुल्क	निःशुल्क	
उपस्थिति अस्तित्व पीओपी) -एपीवाई	प्रारंभिक अभिदाता पंजीकरण और अंशदान अपलोड	लागू नहीं है	लागू नहीं है

	आगामी लेन-देन	लागू नहीं है													
	नियमितता >6 महीने एवं ₹ 1000 अंशदान	लागू नहीं है													
	ईएनपीएस के माध्यम से अंशदान	लागू नहीं है													
न्यासी बैंक		शून्य													
अभिरक्षक	निवेश प्रबंधन शुल्क	इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक भाग के लिए एयूएम का 0.000000001770% प्रतिवर्ष I	निवल आस्ति मूल्य (NAV) में समायोजन I												
पेंशन निधि प्रबंधक	निवेश प्रबंधन शुल्क	दिनांक 1 अप्रैल 2021 से नवनियुक्त पेंशन निधियों से निम्नानुसार IMF शुल्क लगाया जाएगा - <table border="1" data-bbox="836 720 1252 1503"> <thead> <tr> <th>पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित एयूएम के स्तर</th> <th>अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क IMF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10,000 Cr. तक</td> <td>0.09%*</td> </tr> <tr> <td>10,001 - 50,000 Cr.</td> <td>0.06%</td> </tr> <tr> <td>50,001 - 1,50,000 Cr.</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>1,50,000 Cr. से अधिक</td> <td>0.03%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">इसा स्तर में यूटीआई रिटायरमेंट स्सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 0.07 % का शुल्क लगाया जाता है I</td> </tr> </tbody> </table>	पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित एयूएम के स्तर	अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क IMF	10,000 Cr. तक	0.09%*	10,001 - 50,000 Cr.	0.06%	50,001 - 1,50,000 Cr.	0.05%	1,50,000 Cr. से अधिक	0.03%	इसा स्तर में यूटीआई रिटायरमेंट स्सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 0.07 % का शुल्क लगाया जाता है I		निवल आस्ति मूल्य (NAV) में समायोजित I
पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित एयूएम के स्तर	अधिकतम निवेश प्रबंधन शुल्क IMF														
10,000 Cr. तक	0.09%*														
10,001 - 50,000 Cr.	0.06%														
50,001 - 1,50,000 Cr.	0.05%														
1,50,000 Cr. से अधिक	0.03%														
इसा स्तर में यूटीआई रिटायरमेंट स्सोल्यूशन लिमिटेड द्वारा 0.07 % का शुल्क लगाया जाता है I															
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (NPS Trust)	व्यय की प्रतिपूर्ति	एयूएम का 0.005% प्रतिवर्ष	निवल आस्ति मूल्य (NAV) में समायोजन												
पीओपी और सीआरए	अपग्रेड/ डाउनग्रेड करने के लिए	₹ 50 (पीओपी और सीआरए द्वारा समान रूप से बांटा जाता है) ।													

v. एपीवाई के तहत विकास

43. एपीवाई से निकासी की प्रक्रिया क्या है?

अभिदाता को मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए सम्बंधित बैंक/डाकघर के पास अनुरोध जमा कराना होगा । अनुरोध के सफलतापूर्वक क्रियान्वित होने पर, अभिदाता को मासिक पेंशन प्राप्त होगी जब तक वह जीवित है। अभिदाता की मृत्यु के बाद, वही मासिक पेंशन राशि पति/पत्नी (डिफॉल्ट नामिति) को देय होगी । अभिदाता एवं पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर, नामिती को मूल अभिदाता के 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन कोष की राशि मिलेगी ।

44. क्या एपीवाई से 60 वर्ष की आयु से पूर्व निकास करने की अनुमति है ?

हाँ, एपीवाई के तहत 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकासी की अनुमति है । स्वैच्छिक निकास के मामले में, अभिदाता को केवल एपीवाई में उनके द्वारा किया गया अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज़ (खाता रखरखाव शुल्क की कटौती) के बाद ही प्राप्त होगा ।

हालांकि, उन अभिदाताओं के मामले में जो योजना में 31 मार्च 2016 के पूर्व शामिल हुए हैं और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया है, यदि 60 वर्ष की आयु से पूर्व स्वैच्छिक निकासी करते हैं, तो उनको सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज़ प्राप्त नहीं होगा ।

हालांकि, सरकार के ट्रिपल गारंटीकृत लाभों को प्राप्त करने के लिए, अभिदाताओं से आग्रह है कि वे 60 वर्ष की आयु तक योजना में निरंतर अंशदान जारी रखें ।

45. 60 वर्ष की आयु से पूर्व किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके साथी को क्या प्राप्त होगा ?

विकल्प 1 : 60 वर्ष की आयु से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने पर, अभिदाता के पति/पत्नी के पास, अभिदाता के एपीवाई खाते को जारी रखने का विकल्प होगा । यह खाता पति/ पत्नी के नाम पर एवं बची हुई निर्धारित अवधि यानि मूल अभिदाता के 60 वर्ष होने तक जारी रहेगा और तब तक पति/ पत्नी को अंशदान करना होगा । अभिदाता का पति/पत्नी, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, अभिदाता के समान पेंशन राशि आजीवन प्राप्त करने का हकदार होगा । ऐसा एपीवाई खाता और पेंशन राशि, अभिदाता के पति/पत्नी को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधा है, चाहे स्वयं के नाम पर भी एक एपीवाई खाता हो और पेंशन राशि हो ।

विकल्प 2 : एपीवाई के अंतर्गत समग्र संचित राशि को पति/पत्नी/नामिति को लौटा दिया जाएगा।

अविवाहित अभिदाता के मामले में, सम्पूर्ण संपत्ति निर्दिष्ट नामिति को वापस की जाएगी ।

46. 60 वर्ष की आयु पर एपीवाई के तहत क्या लाभ हैं?

60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाता को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे :

(i) **गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन राशि :** 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, प्रत्येक अभिदाता को ₹ 1000 प्रतिमाह या ₹ 2000 प्रतिमाह या या ₹ 3000 प्रतिमाह या ₹ 4000 प्रतिमाह या ₹ 5000 प्रतिमाह की गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होगी ।

(ii) **पति/पत्नी के लिए गारंटीयुक्त न्यूनतम मासिक पेंशन राशि:** अभिदाता की मृत्यु होने पर अभिदाता का पति/पत्नी अभिदाता के समान आजीवन मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य होगा ।

- (iii) **अभिदाता के नामिति को पेंशन संपत्ति वापस करना** : अभिदाता और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर नामिति, अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित की गई पेंशन राशि को प्राप्त करने के लिए योग्य होगा ।

VI. एनपीएस स्वावलम्बन और एपीवाई

47. **क्या एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना से एपीवाई योजना में स्थानांतरण संभव है?**
हाँ, 18-40 वर्ष के स्वावलम्बन/ एनपीएस लाइट अभिदाता एपीवाई में स्थानांतरित हो सकते हैं ।
48. **एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना से एपीवाई योजना में स्थानांतरित होने की क्या प्रक्रिया है ?**
सभी योग्य स्वावलम्बन अभिदाता जो एपीवाई में स्थानांतरित होना चाहते हैं, एपीवाई में स्थानांतरित होने के लिए नामांकन फार्म भर कर और इसे प्रान कार्ड की प्रतिलिपि के साथ अपने निकटतम एपीवाई सेवा प्रदाता को पंजीकरण हेतु जमा कर सकते हैं । पंजीकरण के बाद, अभिदाता को बैंक शाखा से जोड़ दिया जायेगा । तत्पश्चात, स्वावलम्बन योजना के तहत उपलब्ध प्रान राशि को एपीवाई में T+1 आधार पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा । साथ ही, अभिदाता एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन से एपीवाई में स्थानांतरित होने के लिए ई-एपीवाई (e-APY) सुविधा का उपयोग कर सकते हैं ।
49. **क्या एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन अभिदाता योजना से निकास कर सकते हैं ?**
हाँ, एनपीएस लाइट/ स्वावलम्बन योजना के तहत आने वाले अभिदाता, जो योजना में शामिल नहीं रहना चाहते, योजना पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निकास कर सकते हैं और संपूर्ण राशि एकमुश्त रूप से वापस ले सकते हैं या योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु तक योजना में बने रह सकता है ।

VII. सोशल मीडिया में एपीवाई

50. **क्या एपीवाई से सम्बंधित जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है?**
हाँ, सोशल मीडिया पर निम्नलिखित लिंक्स पर एपीवाई पृष्ठ उपलब्ध हैं :
- Facebook- <https://www.facebook.com/OfficialAPY/>
 - Instagram- <https://www.instagram.com/atalpensionyojanagoi/>
 - LinkedIn- <https://www.linkedin.com/in/pfrda-pension-fund-regulator-of-india-051614168/?originalSubdomain=in>
 - Youtube- <https://www.youtube.com/channel/UCLMx1eZWY-LDeylWCwYu15Q>
 - APY Ki Pathshala on Youtube-https://www.youtube.com/channel/UC5SuHg-O6ipH1J_HTFU17ug
 - Latest APY video : <https://www.youtube.com/watch?v=mt0tijZyHqQ>
 - Twitter- <https://twitter.com/pfrdaofficial?lang=e>

एपीवाई पॉडकास्ट :

क्र.स.	पॉडकास्ट शीर्षक	लिंक
1	एपीवाई - योग्यता और लाभ	https://bit.ly/3OfnSXH
2	एपीवाई मोबाइल एप्लीकेशन - कैसे डाउनलोड करें और इसकी विशेषताएँ	https://bit.ly/3AN7Bdu
3	ई- एपीवाई प्रक्रिया	https://bit.ly/3pDYwxF
4	एपीवाई ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट और ई-प्रान (e-PRAN) डाउनलोड करना	https://bit.ly/3cfJ6g5
5	पति/पत्नी द्वारा एपीवाई खातों को जारी रखना	https://bit.ly/3VyWHQE
6	स्वावलंबन योजना के अभिदाताओं का एपीवाई में स्थानांतरण	https://bit.ly/3GRym4d
7	क्या होगा अगर एपीवाई अभिदाता कुछ महीनों के लिए अपने अंशदान करने से चूक जाता है	https://bit.ly/3VgQdGg
8	वित्तपोषित (Funded) एपीवाई खाते और उसके लाभ	https://bit.ly/3uaVwLi
9	एपीवाई में पंजीकृत विवरण के संशोधन की प्रक्रिया	https://bit.ly/3F9HMqs
10	एपीवाई PRAN को आधार से कैसे जोड़ें (Aadhar Seeding)	https://bit.ly/3GX0jrH
11	एपीवाई खाता खोलने की प्रक्रिया	https://bit.ly/3XI0Vr8
12	एपीवाई अभिदाता शिकायत कैसे दर्ज करें	https://bit.ly/3IRLM1m
13	एपीवाई PRAN कार्ड कैसे प्राप्त करें	https://bit.ly/3iCQeq6

अनुलग्नक-1

एपीवाई के तहत, विभिन्न आयु वर्ग में विभिन्न न्यूनतम गारंटीड पेंशन राशि के लिए मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंशदान और नामिती को कोष की वापसी

		रु. 1000/- प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन रूपये 1.7 लाख			रु. 2000/- प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन रूपये 3.4 लाख			रु. 3000/- प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन रूपये 5.1 लाख			रु. 4000/- प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन रूपये 6.8 लाख			रु. 5000/- प्रतिमाह की न्यूनतम गारंटीयुक्त पेंशन रूपये 8.5 लाख		
संभावित / सांकेतिक कोष राशि की नामिती को वापसी	शेष अवधि	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान	मासिक अंशदान	त्रैमासिक अंशदान	अर्धवार्षिक अंशदान
18	42	42	127	256	84	254	512	126	381	769	168	507	1025	210	634	1281
19	41	46	139	281	92	278	561	138	417	842	183	553	1116	228	689	1391
20	40	50	151	305	100	302	610	150	453	915	198	598	1208	248	749	1513
21	39	54	163	329	108	326	659	162	489	988	215	649	1312	269	812	1641
22	38	59	178	360	117	353	714	177	535	1080	234	707	1428	292	882	1781
23	37	64	193	390	127	384	775	192	580	1171	254	767	1550	318	960	1940
24	36	70	211	427	139	420	848	208	628	1269	277	837	1690	346	1045	2111
25	35	76	230	464	151	456	921	226	683	1379	301	909	1836	376	1136	2294
26	34	82	248	500	164	495	1001	246	743	1501	327	988	1995	409	1235	2495
27	33	90	272	549	178	538	1086	268	809	1635	356	1075	2172	446	1347	2721
28	32	97	293	592	194	586	1184	292	882	1781	388	1172	2367	485	1465	2959
29	31	106	320	647	212	640	1293	318	960	1940	423	1277	2581	529	1598	3227
30	30	116	350	708	231	698	1409	347	1048	2117	462	1395	2819	577	1743	3520
31	29	126	381	769	252	761	1537	379	1145	2312	504	1522	3075	630	1903	3844
32	28	138	417	842	276	834	1684	414	1250	2526	551	1664	3362	689	2081	4204
33	27	151	456	921	302	912	1842	453	1368	2764	602	1818	3673	752	2271	4588
34	26	165	498	1007	330	997	2013	495	1495	3020	659	1990	4020	824	2489	5027
35	25	181	547	1104	362	1093	2209	543	1640	3313	722	2180	4405	902	2724	5503
36	24	198	598	1208	396	1196	2416	594	1794	3624	792	2392	4832	990	2990	6040
37	23	218	658	1330	436	1317	2660	654	1975	3990	870	2627	5308	1087	3283	6632
38	22	240	725	1464	480	1450	2928	720	2174	4393	957	2890	5839	1196	3612	7297
39	21	264	797	1611	528	1595	3221	792	2392	4832	1054	3183	6430	1318	3980	8041
40	20	291	879	1775	582	1758	3551	873	2636	5326	1164	3515	7101	1454	4391	8871